

छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-11/2015/(6)52
प्रति,

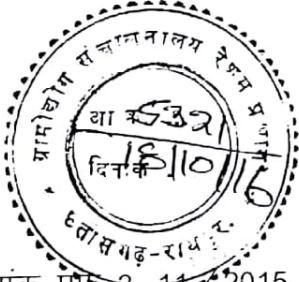
नया रायपुर, दिनांक 17/10/2016

1. संचालक
ग्रामोद्योग संचालनालय
रेशम प्रभाग
नया रायपुर
 2. प्रबंध संचालक,
छ0ग0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
रायपुर
 3. प्रबंध संचालक,
छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड
रायपुर
 4. प्रबंध संचालक,
छ0ग0 माटीकला बोर्ड
रायपुर
- विषय:- ग्रामोद्योग नीति का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित प्रति प्रेषित करने बाबत।

---0---

विषयांतर्गत ग्रामोद्योग नीति 2016-2021 हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 3-11/2015/(6) 52 दिनांक 01.08.2016 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र में दिनांक 10.08.2016 को हो चुका है राजपत्र में प्रकाशित ग्रामोद्योग नीति 2016-2021 की छाया प्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



पृ. क्रमांक एफ 3-11/2015/(6)52
प्रतिलिपि:-

संचालक ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग की ओर उनके पत्र क्र./हा/तक./ग्रा.नी./2016-17/1703 दिनांक 03.10.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।


(वीरेन्द्र गुप्ता)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग
नया रायपुर, दिनांक /10/2016

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगव भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/कुर्/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 अगस्त 2016 — श्रावण 19, शक 1938

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-11/2015/(6)52. — राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न अनुसार “ग्रामोद्योग नीति 2016-2021” लागू करता है. उक्त “ग्रामोद्योग नीति 2016-2021” दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, प्रमुख सचिव.

ग्रामोद्योग नीति

2016-2021

प्रस्तावना

प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का नौवां और जनसंख्या की दृष्टि से सोलहवां बड़ा राज्य है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत वन क्षेत्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है। राज्य की कुल आबादी 2.55 करोड़ है। राज्य में स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एवं ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। खनिज एवं वन संसाधनों की सुगम उपलब्धता के कारण यहां औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, साथ ही राज्य में क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन के साथ-साथ सुनियोजित विकास भी प्राथमिकता में है। इसके लिए राज्य में संचालित परंपरागत ग्रामोद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हुए कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं गुणवत्ता अभिवृद्धि के साथ रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन किया जाना है।

ग्रामोद्योग में रोजगार की वृद्धि संभावना एवं राज्य के अर्थव्यवस्था में इसकी महती भूमिका के कारण यह शासन की सर्वोपरि प्राथमिकता में है। विगत वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में हुए बदलाव तथा वैश्वीकरण के दौर में राज्य में ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु स्वतंत्र ग्रामोद्योग नीति की आवश्यकता अनुभव किये जाने के फलस्वरूप ग्रामोद्योग नीति 2016-2021 तैयार की गई है। इसके तहत ग्रामोद्योग को क्लस्टर आधार पर विकसित कर स्वतंत्र शिल्पियों/कारीगरों एवं निजी उद्यमियों को तकनीकी, डिजाइन, वित्तीय तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराया जावेगा। नीति के क्रियान्वयन से राज्य के ग्रामोद्योग की गति मिलेगी और राज्य के विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक समानताओं का विकास होगा।

परिकल्पना

राज्य का ग्रामोद्योग क्षेत्र बहुआयामी होने के साथ-साथ निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोजगार के विपुल संभावना का क्षेत्र है। अतः ग्रामोद्योग को विकसित कर कमजोर वर्गों एवं महिलाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य शासन की प्राथमिकता में है। ग्रामोद्योग को ऐसे जीवंत एवं सुदृढ़ आर्थिक सृजन के स्रोत के रूप में विकसित किया जाना है, जो निम्न परिणाम सुनिश्चित कर सके -

- ग्रामोद्योग उत्पादों को उपभोक्ताओं के बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित कर उन्हें स्वीकार्य मूल्य पर उपलब्ध कराना।
- ग्रामोद्योग के माध्यम से अधिकाधिक सतत रोजगार के अवसर सृजित कर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु ग्रामोद्योग हेतु उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना।
- राष्ट्रीय उत्पादन में प्रदेश के वन्या रेशम की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

- राज्य में ग्रामोद्योग इकाईयों को प्रोत्साहन देकर ग्रामोद्योग के क्षेत्र में निवेश की गति को तीव्र करते हुए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि।
- राज्य के ग्रामोद्योग उत्पादों को मानकों के अनुरूप विकसित कर उन्हें वैश्विक निर्यात के अनुकूल बनाना।
- राज्य में उत्पादित ग्रामोद्योग उत्पादों को देश के अन्य क्षेत्रों में उत्पादित सामग्रियों की तुलना में अधिक रुचिकर बनाकर उन्हें सक्षम प्रतिस्पर्धी बनाना।
- ग्रामोद्योग के क्षेत्र में विद्यमान नियंत्रण एवं नियमन को अधिक उदार बनाते हुए इसे आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के अनुरूप विकसित करना।
- प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों, रेशम हितग्राहियों, ग्रामोद्योग उद्यमियों के परंपरागत ज्ञान, कौशल एवं क्षमताओं में अभिवृद्धि करना।
- ग्रामोद्योग के हितग्राहियों को गुणवत्तायुक्त एवं उचित मूल्य पर कच्चा माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- ग्रामोद्योग उत्पादों में डिजाइन, गुणवत्ता, मूल्य अभिवृद्धि हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- उत्पादों के ब्रांडिंग एवं आकर्षक पैकेजिंग हेतु तकनीकी संस्थाओं/विशेषज्ञों की सेवाएं लेना।

- ग्रामोद्योग के क्षेत्र में निजी उद्यम के साथ सहकारी संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कमजोर वर्गों एवं महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सहभागिता सुनिश्चित कराना।
- ग्रामोद्योग के समग्र विकास हेतु राज्य शासन, वित्तीय संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वित सहयोग लेना।

विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

वर्तमान समय में ग्रामोद्योग क्षेत्र तकनीकी, गुणवत्ता, उत्पादकता, उत्पाद विविधिकरण एवं वित्तीय पूंजी की अनुपलब्धता एवं असंगठित क्षेत्र संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामोद्योग के क्षेत्र में निम्न क्षेत्रों में संगठित विकास किये जाने की आवश्यकता है -

- तकनीकी विकास में अभिवृद्धि
- उत्पादकता में वृद्धि
- गुणवत्ता अभिवृद्धि एवं जागरूकता
- कच्चे माल की उपलब्धता
- उत्पाद विविधता
- उत्पादों में मूल्य अभिवृद्धि
- निर्यात में वृद्धि एवं नवीन विपणन रणनीतियों
- वित्तीय व्यवस्थाएं
- अधिकाधिक रोजगार सृजन
- समन्वित मानव संसाधन विकास

रणनीति

- संपूर्ण राज्य में ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना, उनका विस्तार तथा उनमें उपलब्ध सेवाओं में सुधार करना।
- राज्य में कार्यरत श्रितियों/कारीगरो/उद्यमियों का सर्वे के माध्यम से चिन्हांकन एवं डाटाबेस तैयार कर कार्ययोजना तैयार करना।
- उद्यमवार विकास की योजना तैयार करना।
- ग्रामोद्योग की इकाईयों की स्थापना के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग विशेषकर महिला उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना।
- राज्य में बीमार एवं बंद पड़े ग्रामोद्योग की इकाईयों के पुनर्स्थापन के लिए योजना तैयार करना।
- राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त इकाईयों की स्थापना एवं उनकी निगरानी हेतु प्रभावी व्यवस्था करना।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ग्रामोद्योग के समस्त व्यवसाय के माध्यम से राज्य में लगभग 7 लाख व्यक्तियों को रोजगार।

- ग्रामोद्योग के विकास हेतु संचालित योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कर उनमें आवश्यकतानुसार पुनर्संरचना सुधार.
- खादी एवं ग्रामोद्योग अंतर्गत 35,000 इकाईयों के माध्यम से 1.15 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्धता में वृद्धि कर प्रतिवर्ष लगभग 50,000 इकाईयों के माध्यम से 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्धता का लक्ष्य.
- वस्त्र उत्पाद इकाईयों में वर्तमान रोजगार उपलब्धता प्रतिवर्ष 60,000 से बढ़ाकर 1.30 लाख का लक्ष्य.
- वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 155.00 करोड़ रु. मूल्य के लगभग 2.00 करोड़ मीटर सूती वस्त्र उत्पादन में वृद्धि कर 350.00 करोड़ मूल्य के 4.50 करोड़ मीटर उत्पादन का लक्ष्य.
- प्रतिवर्ष लगभग 165 करोड़ रु. मूल्य के लगभग 53.00 लाख मीटर रेशम वस्त्र उत्पादन में वृद्धि कर प्रतिवर्ष 300 करोड़ मूल्य के 85 लाख मीटर रेशम वस्त्र का लक्ष्य.
- प्रतिवर्ष लगभग 60 करोड़ रु. के रेशम वस्त्र निर्यात को बढ़ाकर लगभग 100 करोड़ रु. के निर्यात का लक्ष्य.
- ✓ रेशम उद्योग के माध्यम से 1 लाख व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्धता में वृद्धि कर प्रतिवर्ष 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्धता का लक्ष्य.
- ✓ रेशम उद्योग में लगभग 20 करोड़ पालित/नैसर्गिक ककून एवं 350 मीट्रिक टन वार्षिक कोसा धागा उत्पादन में वृद्धि कर 1200 मीट्रिक टन कोसा धागा उत्पादन का लक्ष्य.
- ✓ राज्य में प्रतिवर्ष 8 मीट्रिक टन मलबरी रेशम के उत्पादन में वृद्धि कर 30 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य.
- हस्तशिल्प उद्योग में प्रतिवर्ष 20,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्धता में वृद्धि कर प्रतिवर्ष 70,000 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य.
- हस्तशिल्प सामग्रियों का उत्पादन प्रतिवर्ष 30 करोड़ से 70 करोड़ रु. वृद्धि किये जाने का लक्ष्य.
- माटीशिल्प में प्रतिवर्ष 12,000 शिल्पियों को रोजगार में वृद्धि कर 20,000 शिल्पियों को रोजगार उपलब्धता का लक्ष्य.
- राज्य में संचालित भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, शासकीय रेशम उत्पादन/अनुसंधान केन्द्र का सुदृढीकरण.
- राज्य में ग्रामोद्योग उत्पादों के डिजाइन, गुणवत्ता, मूल्य अभिवृद्धि हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं निफ्ट, टेक्सटाइल कमेटी, एन.आई.डी. आदि संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रयास.

लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यनीति

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामोद्योग की एक समृद्ध परंपरा रही है. ग्रामोद्योग में सरल तकनीक, कम लागत के साथ-साथ डिजाइन विकास की असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं. राज्य में प्रस्तावित नीति के माध्यम से तकनीकी विधियों, गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन के उपायों को अपनाकर ग्रामोद्योग में अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा के अर्जन को प्रोत्साहित किया जाना है.

राज्य में ग्रामोद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न प्रयास प्रस्तावित हैं -

प्राथमिकताएं

- राज्य में क्षेत्रवार एवं उद्योगवार ग्रामोद्योग इकाईयों को चिन्हित कर उनका कलस्टर आधार पर विकास किया जावेगा.
- ग्रामोद्योग के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार कार्य को प्रोत्साहन दिया जावेगा.
- तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं को ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन दिया जावेगा.
- महिला सशक्तिकरण हेतु कमजोर वर्ग के महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का निर्माण किया जावेगा.

- ग्रामोद्योग की दृष्टि से पिछड़े जिले जशपुर, कोरिया, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर, सूरजपुर, कवर्धा जिले एवं अन्य जिलों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्ड के ग्रामीण बेरोजगारों विशेषकर अजजा/अजा वर्ग एवं महिलाओं को ग्रामोद्योग में प्रशिक्षित कर रोजगार से संलग्न किया जावेगा,

प्रशिक्षण एवं डिजाइन/प्रौद्योगिकी विकास

- हाथकरघा, हस्तशिल्प क्षेत्र में प्रशिक्षित, कुशल कारीगर तैयार करने हेतु भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय शिल्प डिजाइन संस्थान आदि राष्ट्रीय स्तर के संस्था में उच्च शिक्षा हेतु संबद्ध किया जावेगा.
- सघन ग्रामोद्योग के क्षेत्रों में बाजारोन्मुख नवीन डिजाइनों के विकास हेतु फ्रीलांस डिजाइनर एवं कंप्यूटर एडेड टेक्स्टाईल डिजाइन सिस्टम की स्थापना को बढ़ावा दिया जावेगा.
- राज्य स्तर के संस्थाओं में शिल्प कला के डिजाइन विकास हेतु शार्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन किया जावेगा.
- डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास हेतु निफ्ट/एन.आई.डी. से संबद्धता ली जावेगी.
- उत्पादन केन्द्रों को उन्नत एवं सुविकसित करने हेतु गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जावेगा.
- विभिन्न शिल्पों में डिजाइन एवं रूपांकन कार्य में विविधता हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा.
- धगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित ई-मॉडल चरखा को बढ़ावा दिया जावेगा.
- पुराने तकनीक पर आधारित पावरलूमों को परिवर्तित कर आधुनिक उन्नत पावरलूम में परिवर्तन किया जावेगा.
- नवीन क्षेत्रों में पालित एवं वन क्षेत्रों में उपलब्ध टसर खाद्य पौधों से अधिकतम गुणवत्तायुक्त कोसा उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु नवीन तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जावेगा.
- निजी क्षेत्र में टसर एवं मलबरी रेशम के उत्पादन को बढ़ाने हेतु उत्पादन क्षेत्र का विस्तार किया जावेगा.
- नैसर्गिक कोसा के क्षेत्रों में स्थानीय प्रजाति के प्रगुणन कैम्पों का आयोजन हेतु प्रयास किया जावेगा.

अधोसंरचना विकास

- सुविकसित रंगाई घर, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, सामान्य सुविधा केन्द्र की संस्थागत/निजी क्षेत्रों में स्थापना को प्रोत्साहन दिया जावेगा.
- विभिन्न शिल्पों के लघु उत्पादन इकाईयां, डिजाइन एवं मूल्य अभिवृद्धि हेतु पृथक् सक्षम इकाईयों की स्थापना की जावेगी.
- माटीशिल्प में मूल्य अभिवृद्धि हेतु ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जावेगा.
- आवश्यकतानुसार मॉडल ग्रामोद्योग उत्पाद केन्द्रों का विकास किया जावेगा.

कार्यशील पूंजी

- राज्य में ग्रामोद्योग की इकाईयों की स्थापना हेतु केन्द्र/राज्य शासन, वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर चिन्हांकित एवं पंजीकृत शिल्पियों/कारिगरों/उद्यमियों को साफ्ट लोन उपलब्ध कराया जावेगा. उपलब्ध कराये गये साफ्ट लोन का राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी देने हेतु प्रयास किया जावेगा.
- ग्रामोद्योग में संलग्न शिल्पियों/कारिगरों/उद्यमियों को मुद्रा योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, रिवाक्विंग फण्ड, परिवार मूलक योजना, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि योजनाओं के माध्यम से कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी.

- शिल्पियों/कारीगरों/उद्यमियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र शासन द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के समान राज्य शासन से परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत तक अनुदान सहायता दिये जाने हेतु प्रयास किया जावेगा.
- सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों/कारीगरों को वर्तमान योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, सिडबी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नाबार्ड से ऋण उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी.
- राज्य में कार्यरत शिल्पियों/कारीगरों/उद्यमियों को राज्य शासन द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जायेगा.
- पावरलूम बुनकरों को टेक्सटाइल क्षेत्र में हो रहे नवीन तकनीकी परिवर्तन से परिचय कराकर केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जावेगी.

रॉ मटेरियल/उपकरण

- कच्चा माल जैसे धागा, रंग रसायन की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने रॉ मटेरियल बैंक की स्थापना की जावेगी.
- शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों में रॉ मटेरियल बैंक की स्थापना की जावेगी.
- रॉ मटेरियल बैंकों में कच्चा माल की गुणवत्ता एवं नियमित आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थानों से समन्वय स्थापित की जावेगी.
- सहकारी संस्थाओं के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों, निजी क्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों को उन्नत उपकरण/औजार हेतु सहायता उपलब्ध कराई जावेगी.

पैकेजिंग/ब्रांडिंग

- पैकेजिंग को आकर्षक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के पैकेजिंग इंस्टीट्यूट की सेवाएँ ली जायेंगी.
- ग्रामोद्योग उत्पादों की ब्रांडिंग को स्थापित करने हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएँ ली जायेंगी.

विपणन

- राज्य के बुनकरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शासकीय वस्त्र प्रदाय नीति जारी रखा जायेगा तथा छत्तीसगढ़ के पंजीकृत हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों को शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में आपूर्ति हेतु आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे.
- शासकीय विभागों के साथ ही राज्य के शिल्पियों/कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को राज्य में स्थापित सार्वजनिक उपक्रमों, निजी औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विक्रय के विस्तार का प्रयास किया जावेगा.
- ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय के लिए समन्वित ग्रामोद्योग एम्पोरियम की स्थापना की जायेगी.
- जिला स्तर पर ग्रामोद्योग एम्पोरियम तथा देश के महानगरों में राज्य के ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय के लिए नवीन विपणन केन्द्र बिलासा, शबरी (विक्रय शोरूम) की स्थापना की जायेगी.
- पंजीकृत शिल्पियों/कारीगरों को जिला एवं राज्य स्तर पर विभागीय अथवा अन्य विभागों के समन्वय से निर्मित विक्रय केन्द्रों का प्राथमिकता के आधार पर आबंटन करने हेतु प्रयास किया जावेगा.
- ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय के लिए राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों/मेलों/एक्सपों का आयोजन किया जावेगा.
- अज्ञा/अजज्ञ/अपिब/महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय के लिए विकासखण्ड स्तर पर खादी ग्रामोद्योग मित्र जैसी फुटकर विक्रय एजेंसियों का गठन किया जावेगा.

- अजजा वर्ग के कारीगरों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के प्रति जागरूकता लाने तथा विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न शहरों में ट्रायबल मेलों का आयोजन किया जावेगा।
- राज्य के पर्यटन केन्द्रों में राज्य के ग्रामोद्योग उत्पादों के बाजार संवर्धन हेतु पर्यटन सह मार्केटिंग कामप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जावेगा।
- ग्रामोद्योग उत्पादों की विभागीय वेबसाइट के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की शासकीय एवं निजी मार्केटिंग एजेंसियों, जैसे-एच.एच.ई.सी., एच.ई.पी.सी., फिलप कार्ट, स्नेपडील इत्यादि से समन्वय कर आनलाईन मार्केटिंग की व्यवस्था की जावेगी।
- उत्पादों के काउंटर सेल में वृद्धि के लिए शापर्स स्टॉप एवं अन्य स्थापित रिटेल शॉप से समन्वय किया जावेगा।

निर्यात प्रोत्साहन

- निर्यात योग्य उत्पादों के निर्माण हेतु परंपरागत शिल्पियों/कारीगरों एवं उद्यमियों को गुणवत्ता मानकों में प्रशिक्षित किया जावेगा।
- कोसा सिल्क/कॉटन, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यात संवर्धन केन्द्र की स्थापना तथा उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु हाथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम, डायरेक्टर जनरल ऑफ़ फ़ारेन ट्रेड व संबंधित एजेंसियों से सहयोग एवं समन्वय किया जावेगा।
- शिल्प निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न निर्यात संगठनों से सहयोग लिया जावेगा।
- निर्यात हेतु उत्पादों की गुणवत्ता के सुनिश्चय के लिए इंडिया हैण्डलूम ब्रांड, सिल्क मार्क, हैण्डलूम मार्क के मानकों का अनुसरण एवं प्रयोग किया जावेगा।

प्रबंधकीय प्रशिक्षण

- सहकारी संस्थाओं में बेहतर प्रबंधन हेतु प्रबंधकीय प्रशिक्षण दिया जावेगा।
- विपणन कार्यों में संलग्न मानव संसाधनों को बाजार में विक्रय के आधुनिक पद्धतियों से परिचित कराने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जावेगा।

कल्याणकारी योजना

- ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों/कारीगरों/उद्यमियों को सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न बीमा कार्यक्रमों से जोड़कर सहायता दिये जाने हेतु प्रयास किया जावेगा।
- राज्य में चिन्हांकित एवं पंजीकृत शिल्पियों/कारीगरों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर सहायता दिये जाने का प्रयास किया जावेगा।
- राज्य के 60 वर्ष से अधिक के शिल्पियों/कारीगरों को मासिक आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु प्रयास किया जावेगा।
- आवासहीन शिल्पियों एवं कारीगरों को कर्मशाला-सह-आवास निर्माण हेतु सहायता अनुदान दिया जावेगा।
- बुनकर कारीगरों एवं शिल्पियों को सुगम कार्यस्थल उपलब्ध कराने हेतु कर्मशाला भवन निर्माण हेतु सहायता अनुदान दी जावेगी।
- परंपरागत शिल्पकारों के बच्चों को शिल्प डिजाइन की उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय संस्थानों में अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

अन्य प्रयास

- राज्य के लुप्तप्राय तथा परंपरागत ग्रामोद्योग शिल्प कारीगरी एवं डिजाइन के पुनर्जीवन का प्रयास किया जावेगा।

- राज्य के शिल्पों को रेखांकित करते हुए डिजाइन बैंक एवं कालाकृति संग्रहालय की स्थापना की जावेगी तथा राज्य के श्रेष्ठ, पुरस्कृत शिल्पियों/ कारीगरों के कला का डाक्यूमेंटेशन किये जाने हेतु प्रयास किया जावेगा।
- शिल्पकला एवं बुनाई कारीगरों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने हेतु विभिन्न पुरस्कारों का प्रावधान किया जावेगा।
- शिल्पियों/ कारीगरों/ उद्यमियों को देश के अन्य हिस्सों में स्थित ग्रामोद्योग इकाईयों के सघन एवं उत्कृष्ट केन्द्रों के अध्ययन हेतु सहायता दी जावेगी।
- राज्य के ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उत्पादों के निर्माण विधियों, डिजाइनों एवं शिल्प धरोहरों का पेटेंट कराने हेतु प्रयास किया जावेगा।
- ग्रामोद्योग के इकाईयों को आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन/ एगमार्क/ यूरो मानक अथवा अन्य राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण हेतु सहायता दी जावेगी।
- ग्रामोद्योग के इकाईयों को उनके मूल कार्य/ अनुसंधान के आधार पर नवीन तकनीक के आविष्कार पर तकनीकी पेटेंट हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।
- राज्य के ग्रामोद्योग के उत्पादों के ब्रांड विकास हेतु प्रयास किया जायेगा।
- राज्य के शिल्प ग्रामों को पर्यटन विभाग से समन्वय स्थापित कर पर्यटन नक्शे पर दर्शित कर उनके प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास किया जावेगा।
- राज्य के शिल्प कला उत्पादों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

क्रियान्वयन अवधि एवं समीक्षा

ग्रामोद्योग नीति 2016-21 की कालावधि दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 तक होगी। पांच वर्षों की इस कालावधि में राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य में ग्रामोद्योग के विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामोद्योग नीति के प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा कर उसमें नये प्रावधानों का समावेश/ संशोधन एवं स्थापित प्रावधानों का विलोपन कर सकेगी।

ग्रामोद्योग नीति 2016-21

परिभाषाएं

1. ग्रामोद्योग से आशय है वह कुटीर उद्योग जो सरल तकनीक पर आधारित हो एवं स्थानीय स्तर पर उत्पाद निर्माण अथवा सेवा प्रदाय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराता हो तथा जिसमें कुल स्थाई पूंजी निवेश प्रति 1.00 लाख रु. में कम से कम एक व्यक्ति को पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त होता हो।
2. खादी से आशय है कि कपास, रेशम या ऊन से हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के धागों के मिश्रण से भारत में हाथ करघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र।
3. महिला सशक्तिकरण से आशय है कि राज्य के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
4. विधवा से आशय है कि ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा पुनर्विवाह न किया हो।
5. परित्यक्तता से आशय है कि ऐसी महिला जो तलाकशुदा हो या जिसका वैवाहिक संबंध विच्छेद हो चुका हो तथा जिसका पुनर्विवाह न किया हो।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति/जनजाति की परिभाषा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने बाबत स्थायी प्रमाण-पत्र भी धारित करता हो।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/स्थापित उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं राज्य के मूल निवासी द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो/स्थापित हो, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो।
8. महिला उद्यमी से आशय राज्य की मूल निवासी ऐसी महिला से है, जिसने उद्योग स्थापित करना प्रस्तावित किया हो/स्थापित किया हो।
9. विकलांग/निःशक्त से आशय राज्य के उस मूल निवासी से है, जो भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण एवं पूर्व भागीदारी) अधिनियम 1995 की परिधि में आता हो एवं इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र धारित करता हो।
10. नवीन ग्रामोद्योग इकाई से अभिप्रेत ऐसी ग्रामोद्योग इकाई से है, जिसके द्वारा दिनांक 01-04-2016 या उसके पश्चात् पंजीकृत हुई हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ की हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति इकाई पंजीयन प्रमाण पत्र या वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करता हो।
11. कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय/प्रबंधकीय पद की वही परिभाषा मान्य की जायेगी जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी की जावे।
12. राज्य के मूल निवासी से अभिप्रेत है जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राज्य के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जावे तथा वे इसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र धारित करता हो।

छत्तीसगढ़ राज्य में चिह्नांकित ग्रामोद्योग गतिविधियां

ग्रामोद्योग इकाईयां

(1) खनिज आधारित उद्योग

पत्थर से बनी उपयोगी वस्तुएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सामग्रियां, क्रेशर प्लांट, ईट निर्माण, सजावटी शीशों की कटाई, डिजाइनिंग, पालिशिंग।

(2) वन आधारित उद्योग

टसर कोसा सिल्क - कृमि पालन/धागाकरण, मलबरी कोसा सिल्क - कृमिपालन/धागाकरण, बांस एवं बैत शिल्प, काष्ठ शिल्प, शीशुल शिल्प, लाख निर्माण, लाख से बने उत्पाद, पत्ते का दोना बनाना, गोद और रेजिन निर्माण, कत्था निर्माण, हाथ कागज निर्माण, वनोत्पादों का संग्रह एवं प्रशोधन, जूट उत्पादों का निर्माण, खस पट्टी और झाड़ू निर्माण, कागज के प्याले, तस्तरी और कागज के डब्बे का निर्माण, काँपी निर्माण, जिल्दसाजी, प्लाई निर्माण।

(3) कृषि आधारित उद्योग

तुम्बा शिल्प, पैरा शिल्प, अनाज, दाल, मसाला का प्रशोधन, पैकिंग, विपणन, नूडल निर्माण, विद्युतचलित आटाचक्की, चॉवल छिल्का उतारने की छोटी इकाई (मिनी राईसमिल), ताड़ गुड़ निर्माण एवं अन्य ताड़ उत्पाद, गन्ना, गुड़ एवं खानसारी निर्माण, भारतीय मिष्ठान निर्माण, रसवंती गन्ना रस खानपान इकाई, मधुमक्खी पालन, आचार, फल एवं सब्जी का प्रशोधन एवं डिब्बाबंदी, घानीतेल उद्योग, काजू प्रशोधन, दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाई, पशुचारा एवं मुर्गी चारा निर्माण।

(4) बहुलक और रसायन आधारित उद्योग

कुटीर साबुन उद्योग, रबर वस्तुओं का निर्माण, रेकजिन, पी.वी.सी. से बने उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती कपूर का निर्माण, प्लास्टिक की पैकेजिंग वस्तुओं का निर्माण, मेहंदी निर्माण, डिटरजेंट और धुलाई पाउडर निर्माण।

(5) इंजीनियरिंग उद्योग

ढोकरा शिल्प, लौह शिल्प, लोहारी, बदर्हिगिरी, कुम्हारी उद्योग, माटी शिल्प, भित्ति शिल्प, एल्यूमिनियम के घरेलू बर्तन का निर्माण, हस्तनिर्मित पीतल के बर्तनों का निर्माण, हस्तनिर्मित तांबे के बर्तनों का निर्माण, लकड़ी पर नक्कासी और कलात्मक फर्नीचर निर्माण, मोटर वाईडिंग, तार की जाली बनाना, लोहे की झंझरी का निर्माण, दुपहिया साईकिल निर्माण, संगीत साजों का निर्माण।

(6) वस्त्र आधारित उद्योग

सूती/पॉलिस्टर वस्त्र निर्माण, कोसा सिल्क वस्त्र निर्माण, ट्राईबल पेंटिंग, होजियरी, रेडिमेंड गारमेंट, खिलौना एवं गुड़िया निर्माण, दरी निर्माण, कशीदाकारी, सत्य चिकित्सकीय पट्टी का निर्माण।

(7) सेवा उद्योग

नाई/सेलून, धुलाई/ड्राईक्लीनिंग, नलसाजी, बिजली की वायरिंग और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, डीजल इंजिन एवं पंप सेटों की मरम्मत, टायर वल्कनीकरण (रिमोल्डिंग), कीटनाशक दवाओं का छिड़काव आदि के लिए सेवा (स्प्रेयर), लाउडस्पीकर/ध्वनि प्रसारक/डीजे आदि ध्वनि प्रणालियों को किराये पर देना, बैटरी रिचार्जिंग, साईकिल मरम्मत, राजगीर, बँड बाजा मण्डली, मोटर साईकिल मरम्मत, होटल/दाबा (शराबरहित), चाय की दुकान।

उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य उद्योग (प्रतिबंधात्मक/नकारात्मक उद्योग को छोड़कर) आवश्यकतानुसार उक्त सूची में राज्य शासन द्वारा सम्मिलित किये जा सकेंगे।

प्रतिबंधात्मक/नकारात्मक उद्योगों की सूची

- पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तम्बाखु आधारित उद्योग
- एल्कोहल, डिस्टिलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
- पटाखा, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
- आरामिल (सॉ मिल)
- लेदर टैनरी
- स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
- किसी भी उत्पाद रि-पैकिंग
- मिनरल वाटर
- पोलिथिन बैग
- अन्य ऐसे उद्योग जो राज्य शासन द्वारा इस सूची में सम्मिलित किये जायें